

अनुबंध - I
(पैराग्राफ 1.29 देखें)

(लाख ₹)

| क्र. सं. | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | संक्षिप्त विषय | आपत्ति राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम |
|----------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | बी1 | दिल्ली | एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण | 12.40 | 12.40 | 12.20 | आईसीडी, पटपड़गंज |
| 2 | बी2 | दिल्ली | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 60.28 | 60.28 | 68.58 | आईसीडी, पटपड़गंज |
| 3 | बी3 | चेन्नई | रक्षा शुल्क का न लगाया जाना | 24.12 | 24.12 | 28.17 | चेन्नई (समुद्र) |
| 4 | बी4 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 26.02 | 26.02 | 29.96 | चेन्नई (हवा) |
| 5 | बी5 | दिल्ली | अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 14.76 | 14.76 | 15.58 | आईसीडी, पटपड़गंज |
| 6 | बी6 | दिल्ली | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 7.99 | 7.99 | 7.66 | आईसीडी, पटपड़गंज |
| 7 | बी7 | दिल्ली | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 16.74 | 16.74 | 8.06 | आईसीडी, तुगलकाबाद |
| 8 | बी8 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 42.30 | 42.30 | 22.73 | चेन्नई (समुद्र) |
| 9 | बी9 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण | 15.25 | 15.25 | 16.97 | चेन्नई (समुद्र) |
| 10 | बी10 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण | 9.18 | 9.18 | 11.42 | चेन्नई (हवा) |
| 11 | बी11 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का अनुद्ग्रहण | 31.68 | 31.68 | 38.16 | चेन्नई (समुद्र) |
| 12 | बी12 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण | 80.37 | 80.37 | 57.13 | चेन्नई (समुद्र) |
| 13 | बी13 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण | 13.30 | 13.30 | 15.47 | चेन्नई (समुद्र) |

2014 की प्रतिवेदन संख्या 12 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

| क्र. सं. | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | संक्षिप्त विषय | आपत्ति राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम |
|----------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 14 | बी14 | दिल्ली | अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण | 11.56 | 11.56 | 11.32 | आईसीडी, तुगलकाबाद |
| 15 | बी15 | बेंगलोर | एसएफआईएस योजना के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट | 34.04 | 34.04 | 34.04 | जेडीजीएफटी, बेंगलुरु |
| 16 | बी16 | बेंगलोर | घरेलू टैरिफ क्षेत्र बिक्री पर एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण | 17.47 | 17.47 | 22.93 | केन्द्रीय उत्पादशुल्क, बेंगलोर -1 |
| 17 | बी17 | अहमदा बाद | गलत वर्गीकरण के कारण ईपीसीजी लाइसेंस में सीमाशुल्क की डेबिट | 14.39 | 14.39 | 16.04 | कस्टम हाउस, जामनगर |
| 18 | बी18 | अहमदा बाद | मूल सीमाशुल्क दर के गलत उपयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 52.44 | 52.44 | 63.15 | कस्टम हाउस, दहेज |
| 19 | बी19 | अहमदा बाद | कर छूट के गलत वर्गीकरण और अनियमित अनुदान के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 13.93 | 13.93 | 15.23 | कस्टम हाउस, कांडला |
| 20 | ए4 | हैदराबाद | वीकेजीयूवाई योजना के तहत शुल्क क्रेडिट का अधिक अनुदान | 14.65 | 14.65 | | जेडीजीएफटी, हैदराबाद |
| 21 | ए6 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण | 17.55 | 17.55 | | चेन्नई (समुद्र) |
| 22 | ए7 | बेंगलोर | ईपीसीजी लाइसेंस के संदर्भ में निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना | 18.36 | 18.36 | | आईसीडी, बेंगलुरु |

2014 की प्रतिवेदन संख्या 12 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

| क्र. सं. | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | संक्षिप्त विषय | आपत्ति राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम |
|----------|-------------------------------|---------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|
| 23 | ए9 | अहमदा बाद | डीटीए में मंजूर प्रयुक्त ड्रम/आईबीसी टैंक पर शुल्क का अनुद्ग्रहण | 29.52 | 29.52 | 32.78 | वापी |
| 24 | ए10 | मुम्बई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 11.94 | 11.94 | | जेएनसीएच, मुम्बई |
| 25 | ए13 | कोलकाता | डीटीए बिक्री के अनियमित निर्धारण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 17.62 | 17.62 | 3.86 | सीमाशुल्क डिप्टी आयुक्त, फाल्टा एसईजेड |
| 26 | ए14 | दिल्ली | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 7.62 | 7.62 | 2.88 | नया कस्टम हाउस और आईसीडी पटपडगंज |
| 27 | ए15 | कोची | निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना | 26.49 | 26.49 | 44.34 | जेडीजीएफटी, कोची |
| 28 | ए18 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 19.69 | 19.69 | 1.36 | चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क |
| 29 | ए20 | चेन्नई | शुल्क की रियायती दरों के गलत अनुदान के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण | 14.52 | 14.52 | 8.67 | चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क |
| 30 | ए21 | चेन्नई | गैर वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण | 89.57 | 89.57 | 8.03 | चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क |
| 31 | ए22 | चेन्नई | गैर वर्गीकरण के कारण मूल सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण | 19.67 | 19.67 | | चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क |
| 32 | ए23 | चेन्नई | छूट अधिसूचना के गलत उपयोग के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण | 16.31 | 16.31 | 17.00 | चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क |
| 33 | ए24 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण | 28.77 | 28.77 | 15.37 | चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क |

2014 की प्रतिवेदन संख्या 12 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

| क्र. सं. | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | संक्षिप्त विषय | आपत्ति राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम |
|----------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|--------------|---------------|--|
| 34 | ए26 | चंडीगढ़ | भारतीय योजना से सेवा के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट का अनियमित अनुदान | 12.43 | 12.43 | 12.43 | जेडीजीएफटी, लुधियाना |
| 35 | ए27 | दिल्ली | मात्रा की गलत घोषणा के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 13.80 | 13.80 | 14.82 | दिल्ली आयुक्तालय आईसीडी/टीकेडी |
| 36 | ए28 | चेन्नई | गैर वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण | 8.06 | 8.06 | 9.01 | चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क |
| 37 | ए29 | दिल्ली | निर्धारणीय मूल्य की गलत गणना के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 8.10 | 8.10 | 8.25 | आईसीडी तुगलकाबाद आईसीडी पटपडगंज एवं नया कस्टम हाउस |
| 38 | ए30 | बैंगलोर | ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना | 11.75 | 11.75 | | सीमाशुल्क अपर आयुक्त अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, बैंगलोर |
| 39 | ए34 | कोलकाता | निर्यात प्रक्रिया को पूर्ण करने में विफलता के लिए वसूली न होने की कमी | 37.87 | 37.87 | | कस्टम (हवाई अड्डा) कोलकाता |
| 40 | ए37 | मुम्बई | सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क का अनुद्ग्रहण | 15.61 | 15.61 | | जेएनसीएच, मुम्बई |
| 41 | ए40 | लखनऊ | शुल्क कमी की वसूली न करना | 29.93 | 29.93 | | आईसीडी चकेरी, कानपुर |
| 42 | ए41 | दिल्ली | निर्धारणीय मूल्य की गलत गणना के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 8.10 | 8.10 | 2.45 | आईसीडी तुगलकाबाद और न्यू कस्टम हाउस |
| 43 | ए42 | बैंगलोर | अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत निर्यात बाध्यता की पूर्ण न करना | 37.77 | 37.77 | 37.77 | एसीसी, बैंगलोर |
| 44 | ए43 | कोची | अनुदान की अयोग्य छूट और | 8.11 | 8.11 | | केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क, |

| क्र. सं. | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | संक्षिप्त विषय | आपत्ति राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम |
|----------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|--------------|---------------|--|
| | | | गलत विनिमय दर का उपयोग | | | | त्रिवेन्द्रम |
| 45 | ए44 | कोची | निर्यात बाध्यता प्राप्त करने हेतु विफलता के लिए शुल्क का अनुद्ग्रहण | 131.00 | 131.00 | | कस्टम हाऊस, कोची |
| 46 | ए45 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण हेतु गलत छूट | 36.26 | 36.26 | | चेन्नई (समुद्र) कस्टम |
| 47 | ए47 | चेन्नई | एसएफआई के तहत शुल्क का अधिक अनुदान | 251.48 | 251.48 | | आरएलए कोयम्बटूर, आरएलए, चेन्नई |
| 48 | ए50 | अहमदाबाद | एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण | 169.00 | 169.00 | | कांदला (सीमाशुल्क) एवं एमपी एवं एसईजेड (मुंद्रा) |
| 49 | ए51 | दिल्ली | आरएसपी/एमआरपी आधार पर सीवीडी का अनुद्ग्रहण | 7.82 | 7.82 | 8.58 | आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली |
| 50 | ए52 | दिल्ली | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 9.06 | 9.06 | 3.03 | न्यू कस्टम हाऊस, दिल्ली |
| 51 | ए53 | दिल्ली | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 8.31 | 8.31 | 7.35 | न्यू कस्टम हाऊस एवं आईसीडी पटपड़गज, दिल्ली |
| 52 | ए54 | दिल्ली | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 7.80 | 7.80 | 2.55 | आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली |
| 53 | ए56 | दिल्ली | अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 7.63 | 7.63 | 8.09 | आईसीडी, तुगलकाबाद एवं आईसीडी पटपड़गज, दिल्ली |
| 54 | ए57 | बैंगलोर | एसएफआईएस योजना के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट | 16.73 | 16.73 | 16.73 | जेडीजीएफटी, बैंगलोर |
| 55 | ए58 | बैंगलोर | एसएफआईएस के तहत अधिक क्रेडिट | 64.63 | 64.63 | 64.63 | जेडीजीएफटी, बैंगलोर |

2014 की प्रतिवेदन संख्या 12 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

| क्र. सं. | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | संक्षिप्त विषय | आपत्ति राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम |
|----------|-------------------------------|---------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|
| 56 | ए61 | अहमदा बाद | स्थापना व्यय की कम वसूली | 78.47 | 78.47 | 70.18 | आईसीडी, वालवाड़ा, सीएच, सूरत, सीएच जपीपीएल, पीपावव |
| 57 | ए63 | बैंगलोर | अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत निर्यात बाध्यता को पूरा न करना | 13.61 | 13.61 | 13.61 | एसीसी, बैंगलोर |
| 58 | ए64 | बैंगलोर | अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत निर्यात बाध्यता को पूरा न करना | 14.79 | 14.79 | 26.07 | आईसीडी, बैंगलोर एवं एसीसी, बैंगलोर |
| 59 | ए65 | मुम्बई | एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण | 101.00 | 101.00 | | जेएनसीएच, मुम्बई |
| 60 | ए66 | हैदराबाद | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्कों का कम उद्ग्रहण | 53.11 | 53.11 | | हैदराबाद-॥ |
| 61 | ए67 | हैदराबाद | निर्यात बाध्यता को पूरा न करना | 159.98 | 159.98 | | जेडीजीएफटी, विशाखापट्टनम |
| 62 | ए68 | अहमदा बाद | ईओयू के अंतिम निगम को गलत अनुदान | 78.26 | 78.26 | 19.07 | केन्द्रीय उत्पादशुल्क, सूरत ॥ |
| 63 | ए69 | मुम्बई | एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण | 100.00 | 100.00 | | जेएनसीएच, मुम्बई |
| 64 | ए70 | मुम्बई | एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण | 13.35 | 13.35 | 12.24 | जेएनसीएच, मुम्बई |
| 65 | ए71 | मुम्बई | शुल्क का कम उद्ग्रहण | 10.01 | 10.01 | | जेएनसीएच, मुम्बई |
| 66 | ए73 | मुम्बई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 10.15 | 10.15 | | जेएनसीएच, मुम्बई |
| 67 | ए77 | मुम्बई | एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण | 9.30 | 9.30 | | जेएनसीएच, मुम्बई |
| 68 | ए78 | चेन्नई | गैर वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण | 39.27 | 39.27 | 10.09 | चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क |
| 69 | ए82 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण | 15.15 | 15.15 | 17.23 | चेन्नई (समुद्र) सीमाशुल्क |
| 70 | ए83 | चेन्नई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का | 7.62 | 7.62 | 4.13 | चेन्नई (समुद्र) |

| क्र. सं. | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | संक्षिप्त विषय | आपत्ति राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम |
|----------|-------------------------------|---------------------------|--|-------------|--------------|---------------|---|
| | | | कम उद्ग्रहण | | | | |
| 71 | ए85 | कोलकाता | जूट मर्दों के आयात पर अतिरिक्त सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण | 127.64 | 127.64 | | सीमाशुल्क (निरोधक) पश्चिम बंगाल |
| 72 | ए92 | कोलकाता | निर्धारणीय मूल्य के गलत मूल्यांकन के कारण कम उद्ग्रहण | 126.00 | 126.00 | | सीमाशुल्क (हवाई अड्डा) |
| 73 | ए93 | कोलकाता | अयोग्य उत्पादों की डीटीए बिक्री पर शुल्क छूट के अनुदान के कारण कम उद्ग्रहण | 67.54 | 67.54 | | केन्द्रीय उत्पाद-IV, आयुक्त, कोलकाता |
| 74 | ए94 | मुम्बई | एंटी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण | 21.19 | 21.19 | 21.19 | जेएनसीएच, मुम्बई |
| 75 | ए98 | मुम्बई | डीटीए में तैयार माल की मंजूरी पर एसएडी का अनुद्ग्रहण | 7.00 | 7.00 | 9.41 | एसईईपीजेड, मुम्बई एवं ठाणे-। |
| 76 | ए99 | कोलकाता | ईपीसीजी लाइसेंस के विरुद्ध निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना | 22.49 | 22.49 | | जेडजेडीजीएफटी, कोलकाता |
| 77 | ए103 | अहमदाबाद | विभिन्न निर्यातकों को शुल्क वापसी की गैर-वसूली | 340.00 | 340.00 | | एसीसी, सांगानेर, जयपुर |
| 78 | ए104 | अहमदाबाद | लागत वसूली प्रभार की गैर प्राप्ति | 696.00 | 696.00 | | आयुक्त (सीमा) जोधपुर मुख्यालय, जयपुर, अपर आयुक्त (सीमा) जोधपुर, एसी-आयुक्त, बासनी, जोधपुर |
| 79 | ए106 | कोलकाता | निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना | 20.21 | 20.21 | | सीमाशुल्क (बंदरगाह) कोलकाता |
| 80 | ए108 | मुम्बई | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 20.75 | 20.75 | | जेएनसीएच, मुम्बई |

2014 की प्रतिवेदन संख्या 12 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

| क्र. सं. | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | संक्षिप्त विषय | आपत्ति राशि | स्वीकृत राशि | वसूली गई राशि | आयुक्तालय/डीजीएफटी /डीसी का नाम |
|----------|-------------------------------|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 81 | ए110 | दिल्ली | गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण | 11.26 | 11.26 | | आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली |
| 82 | ए112 | हैदराबाद | निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना | 7.52 | 7.52 | | जेडीजीएफटी, हैदराबाद |
| 83 | ए113 | मुम्बई | डीटीए में तैयार माल की मंजूरी पर एसएडी का अनुद्ग्रहण | 47.86 | 47.86 | 53.00 | ठाणे-1 |
| 84 | ए121 | दिल्ली | अग्रिम प्राधिकरण योजना | 14.37 | 14.37 | 6.30 | आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली |
| | | | कुल | 3967.46 | 3967.46 | 1087.95 | |